न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 82/2009 **RCMS 2009/00025**

वादी

1. प्रेमाराम पुत्र नाथूराम जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. हरिसिंह उर्फ हरजीराम पुत्र भागीरथ जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामचंद्र पुत्र भागीरथ जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. जेठाराम पुत्र केशाराम जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. हीरालाल पुत्र केशाराम जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. चंद्राराम पुत्र सालाराम उर्फ सोलाराम जाति जाट निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. राज.राज्य जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)
6. उप पंजियक कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा :– बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री श्यामसुन्दर चौधरी एवं अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक 17.9.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा स्व. रूपाराम पुत्र लच्छाराम व स्व. हुक्माराम, केशा, भागीरथराम मोहनिया व मांगीया वल्द गीगा के वंशज वारिसान है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

रूपाराम

नाथूराम (फौत)   श्योराम (निःसंतान)

प्रेमाराम

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

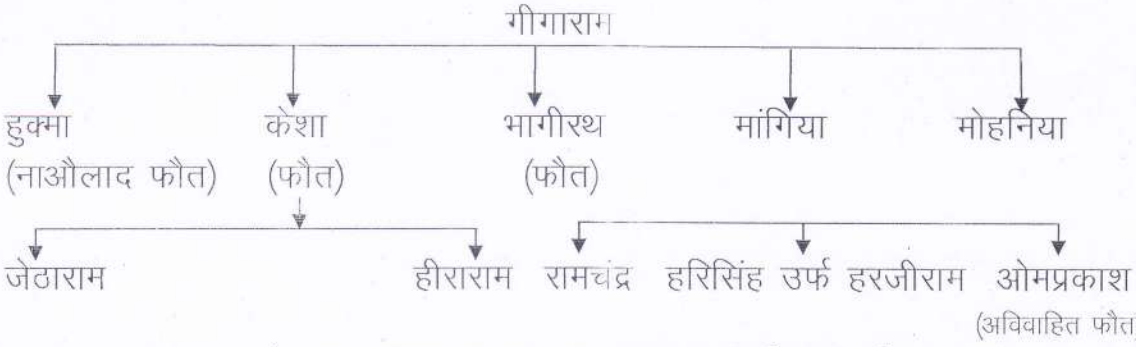

गीगाराम
- हुक्मा (नाऔलाद फौत)
- केशा (फौत)
  - जेठाराम
  - हीराराम
- भागीरथ (फौत)
  - रामचंद्र
  - हरिसिंह उर्फ हरजीराम
  - ओमप्रकाश (अविवाहित फौत)
- मांगिया
- मोहनिया

ग्राम आनन्दपुरा के गत खसरा नम्बर 52 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा "सरकार वालों" स्थित है, वक्त जागीर से सम्वत 2008 से पूर्व से रूपाराम लच्छा हुक्मा केशा मांगिया भागीरथराम मोहनिया पुत्र गीगाराम जागीरदारान से हासल पर काश्त करते रहे है तथा निश्चित हासल उन्हे जमा कराते रहे है तथा सम्वत 2008 मे भू–प्रबन्ध कार्यवाही में व बतौर खातेदार कृषक काबिज रहे है, पर्चा लगान रूपा पुत्र लछा, हुक्मा केशा भागरथ मोहनिया मांगिया वल्द गीगा के नाम जारी होकर मिसल बंदोबस्त सम्वत 2008 से 2027 में बतौर खातेदार दर्ज होने के बाद बतौर जायज खातेदार कृषक काबिज रहे है, रूपाराम के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र नाथूराम व श्योराम बतौर उत्तराधिकारी काबिज रहे है तथा श्योराम का निःसंतान देहान्त होने से सगे भाई नाथूराम को स्वतः अधिकार प्राप्त होगा, नाथूराम के स्वर्गवास उनके पुत्र वादी प्रेमाराम बतौर जायज वारिस काबिज व हकदार 1/2 हिस्सा वादी प्रेमाराम का जरिए उत्तराधिकार स्वतः प्राप्त है, गीगाराम के पुत्र हुक्मा केशा भागीरथा मांगिया व मोहनिया पांचो भाईयो में से हुक्माराम मांगिया मोहनिया नाऔलाद फौत होने से उनके सगे भाई केशारा भागीरथ को 1/2 हिस्सा के जायज हक–हकूक प्राप्त हु ए, केशाराम का स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र जेठाराम व हीरालाल बतौर उत्तराधिकार स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, इस भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी जेठाराम व प्रतिवादी हीरालाल का हक हिस्सा है तथा भागीरथ का भी 1/4 हक हिस्सा है, भागीरथ के स्वर्गवास पश्चात उनके पुत्र रामचंद्र व हरिससिंह उर्फ हरजीराम स्वतः जरिये उत्तराधिकार खातेदारी अधिकार पाने का हकदार है जिनका 1/4 हिस्सा भूमि में हक हकूक है। नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही 1986–90 की अविध के दौरान सम्पन्न हो गई इस कार्यववी में उपरोक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 427 रकबा 2.14 हैक्टर कायम हुए है, अधि[illegible]दूरी के कारण बाहर रहते है तथा पटवारी हल्का को वांछित तस्दीक [illegible] कहा तो उन्होने बताया है कि उक्त भूमि चंद्राराम पुत्र सोलाराम [illegible] नकलात प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि संवत 2022 तक बतौर खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी 1 2 3 के पूर्वजो के नाम भूमि बतौर खातेदार दर्ज रही है सम्वत 2023 से 2026 के चौसाला जमाबंदी में सोलाराम का नाम दर्ज हुआ है जो जरिए नामान्तरकरण संख्या 66 जो बिना दिनॉक ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत होने के कारण वादीगण के पूर्वजो का नाम हटाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गया था जो एक अवैध व शून्य इन्द्राज है, नामान्तरकरण सं. 66 की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि विशेष कॉलाम सं. 14 में "माफिक बेचान जरिए कच्ची लिखत से संवत 2016" का इन्द्राज किया जाना अंकित किया गया है जबकि तथाकथित लिखित न तो कभी की गई तथा न ही लिखित का विवरण ही दिया गया तथा अचल सम्पति के हस्तानान्तरण में विधिवत पंजीयनशुदा दस्तावेज वांछनीय होते है बिना किसी वैद्य दस्तावेज के अभाव में उक्त नामान्तरकरण अचल सम्पति के बाबत स्वतः अवैध व शून्य है, उक्त नामान्तरकरण कब स्वीकृत हुआ है तारीख अंकित नही है,सोलाराम के स्वर्गवास पश्चात इन्द्राज भी स्वतः निष्प्रभावी है, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 2 3 अपने पूर्वजों की भूमि में खातेदारी अधिकार पाने के हकदार है तथा काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 व उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची में वर्णित वारिस होने से खातेदारी अधिकार पाने के हकदार है, अनुसूचित जाति के सदस्यो की खातेदारी की कृषि भूमि बाबत स्वर्ण जाति जाट प्रतिवादी सं. 4 अथवा उसके पिता के नाम इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 42 के विपरीत होने से स्वतः **Nuli & Void** है, वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम आनन्दपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 के नवीन खसरा नम्बर 427 रकबा 2.17 हैक्टर में 1/2 हिस्सा का वादी प्रेमाराम व 1/4 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 1 रामचंद्र व वादी सं. 2 हरिसिंह उर्फ हरजीराम 1/4 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 2 व 3 जेठाराम व हीरालाल प्रतिवादी सं. 4 के स्थान पर काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारो की स्पष्ट घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी सं. 4 का नाम हटाया जावें। उपरोक्त खसरा नम्बर 52 के बाबत रूपाराम वगैरह के नाम हटाने का नामान्तरकरण सं. 66 उसके पश्चात तमाम राजस्व अभिलेख जो प्रतिवादी सं. 4 के नाम कायम हुआ है को वादीगण व प्रतिवादीगण 1 2 व 3 अनुसूचित जाति के सदस्य के पक्ष में निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जावे, उपरोक्त खसरा नम्बर 427 रकबा 2.17 हैक्टर के वादीगण व प्रतिवादीगण 1 2 3 के कब्जाकश्त व भूमि के उपयोग--उपभोग के अधिकारों में प्रतिवादी नं. 4 न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल डाले तथा नही अपने एजेन्टों से डलवाए तथा उक्त भूमि के अधिकारों बाबत प्रतिवादी सं. 4 किसी प्रकार का हस्तानान्तरण संबंधी दस्तावेज निष्पादित व पंजीबद्व नही करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं. 4 सादिर फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 ने वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब मय क्लेम प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 4 ने जवाब प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 5 6 ने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 ने खसरा नम्बर 427 में अपने अपने नाम इस्तदुआ अनुसार हक हिस्सा घोषित किये जाने का कथन किया है, प्रतिवादी संख्या 4 ने वाद को अस्वीकार किया तथा कथन किया है कि वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादी सं. 1 से 3 ग्राम आनन्दपुरा में वर्तमान में निवास नही कर रहे है तथा इनका किसी प्रकार का रहवासीय मकान व भूखण्ड ग्राम आनन्दपुरा में नही है तथा इनका नाम मतदाता सूची में भी नही है, उक्त भूमि जागीरदारान के नाम थी तथा 01.07.1958 को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई थी ओर ग्राम आनन्दपुरा में प्रथम बार सैटलमेंट सम्वत 2002 व 2003 में हुआ था उस सैटलमेंट के अनुसार स्वर्गीय रूपा पुत्र लच्छा आदि का नाम रेकर्ड में आ गया था परन्तु उन्होने उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कभी पर कभी काश्त नही की थी तथा काश्त हमेशा प्रतिवादी 4 के पिता सोलाराम करता था दिनॉक 30.03.1949 को मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस समय भी सोलाराम ही काश्त करता था इसलिए सोलाराम को मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे, सम्वत 2002 व 2003 के सैटलमेंट वक्त की है परन्तु रूपा हुक्मा भागीरथ मांगीया का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय नही था इसलिए उन्हे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते इसलिए वादीगण का वाद खारिज किया जावे। पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से सोलाराम का कब्जा काश्त रहा है तथा सोलाराम ने वादीगण के बुजुर्ग को 800/– रूपये दिये थे कब्जा पहले से ही सोलाराम का चला आ रहा था और कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे, सोलाराम के नाम खातेदारी दर्ज करने के लिए नाथूराम ने अपनी सहमति दी थी इसलिए उसे 800/– रूपये दिये गये थे, खेत का बेचान नही हुआ था और नह ही लिखित मिति जेठ सूद पूनम सम्वत 2016 बेचान है यह केवल सहमति पत्र है, जिसमें नाथूराम ने यह स्वीकार किया था कि उस भूमि पर उसका किसी प्रकार का हक अधिकार नही है जो लिखित **Collateral purpose** के लिए शहादत में ग्राह जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण सही स्वीकार किया गया था 01.04.1965 से सोलाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी विधिवत है जो शून्य नही है अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है,सोलाराम मे स्वर्गवास पश्चात खातेदारी प्रतिवादी सं. 4 के नाम नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है जो सही है, उपरोक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 का कभी कब्जा काश्त नही रहा है केवल प्रतिवादी सं.4 के पूर्वज एवं तत्पश्चात उसके वारिस अर्थात प्रतिवादी सं.4 का कब्जा काश्त एवं खातेदारी दर्ज चली आई है तथा वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 4 के नाम खातेदारी दर्ज है, इसलिए वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से नक्शा मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 की छाया प्रति, पर्चा लगान की छाया प्रति सम्वत 2010 से 2030, 2031–2034 की छाया प्रति, गिरदावरी सम्वत 2010–2020 की छाया प्रति, सम्वत 2061 की छाया प्रति, प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण सं. 66, खतौनी सम्वत 2019–2022, 2069 से 2072, मिलान क्षेत्रफल नकल, प्रतिवादी 4 की ओर से बही की फोटो काफी, राजस्व प्रार्थना–पत्र 58/2019 प्रेमाराम बनाम रामचंद्र में पारित आदेश 4.12.2009 की प्रमाणित प्रति, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भरनाई तहसील मकराना की मतदाता सूची 2008 की छाया प्रति, 1998 की छाया प्रति,1975 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

मुख्य परीक्षण बाबत शपथ–पत्र हरिसिंह उर्फ हरजीराम ईश्वरराम भंवरलाल, हेमाराम का वादी की ओर से प्रस्तुत हुआ, प्रतिवादी सं. 4 चन्द्राराम पुत्र सोलाराम जाट आनन्दपुरा का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में प्रस्तुत जवाब एवं तथ्यों अनुरूप निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई :–

तनकियात

1. आया वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 427 रकबा 2.17 हेक्टर मे वादी प्रेमाराम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं.1 एवं वादी हरिसिंह उर्फ हरजीराम 1/4 हिस्सा, प्रति. सं. 2 व 3 1/4 हिस्से की खातेदारी पाने के अधिकारी है ? प्रतिवादी सं. 4 का नाम हटाये जाने के वादीगण एवं प्रतिवादी 1 से 3 मुश्तहक है ?

––– जिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3, प्रतिवादी सं. 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के मुश्तहक है ?

––– जिम्मे वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 4 वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजो का 50 वर्षो से कब्जा काश्त होना एवं खातेदारी भूमि से नाम नही हटाये जाने की घोषणा कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है ?

जिम्मे प्रतिवादी सं. 4

4. अनुतोष

प्रकरण मे उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिसमे प्रतिवादी सं. 4 के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायालयो की नजीरें पेश की। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नवत है :–

<u>तनकी संख्या 1</u> को साबित करने का भार वादीगण पर था, जिन्होने अपने समर्थन में बतौर मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र एवं जमाबंदी नकल गिरदावरी नकल की छाया प्रति इत्यादि प्रस्तुत [illegible] सबूतो का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत भूमि आनन्दपुरा के गत [illegible] 52 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर [illegible], उपरोक्त भूमि सम्वत 2008 की प्रस्तुत नकल [illegible]रदार बागसिंह वगैरह छुट भाई तथा काश्तकार कॉलम में रूपा वल्द लछा [illegible]/2 हुक्मा केसा भागीरथ मोहनीया मांगीया पि. गीगा कोम बावरी सा. देह पट्टेदार पट्टा तारीख 26 अगस्त सन् 1997 ई. खातेदारान ख.नं. 52 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयम प्लस अंकन है, पर्चा लगान पुराना इसी अनुसार है, सम्वत 2011–2014 में भी यही इन्द्राज अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है, सम्वत 2019 से 2022 मे भी इसी अनुसार अंकन है,सम्वत 2023 सं 2026 में सोलूराम पुत्र मोतीराम जाट सा. देह खातेदार अंकन है, सम्वत 2027 से 2030 में सोलूराम पुत्र मोतीराम जाट सा. देह खातेदार अंकन है, 2031– 2034, 2034–2038 में सोलूराम पुत्र मोतीराम जाट सा. देह खातेदार अंकन है, नामान्तरकरण सं0 66 में रूपा वल्द लच्छा 1/2 हुक्मा वल्द केसा भागीरथ मांगिया पि. गीगा कौम बावरी सा. देह के स्था नपर सोलूराम पुत्र मोतीराम जाट सा. देह खातेदार तथा कॉलम सं. 14 में माफिक बेचान जरिये कच्ची लिखित सं. 2016 अंकित होकर नामान्तरकरण स्वीकार है,गिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 52 रकबा 2.16 खसरा नम्बर 427 रकबा 2.17 अंकन है, गिरदावरी नकल में उपरोक्तानुसार काश्तकार एवं काश्त दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2061 खसरा नम्बर 427 रकबा 2.17 हैक्टर खसरानम्बर 441 रकबा 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 445 रकबा 1.60 हैक्टर कुल रकबा 4.05 हैक्टर में चन्द्राराम पुत्र सोलाराम जाति जाट सा. दहे खातेदार राहिन खसरा नम्बर 427 व 445 नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक नागौर शाखा परबतसर मूर्तहीन दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2019–2022 खसरा नम्बर 52 रकबा 13 बीधा 8 बिस्वा में रूपा वगैरह के स्थान पर सोलाराम का नाम दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2069–2072 में खसरा नम्बर 427 रकबा 2.17 हैक्टर खसरानम्बर 441 रकबा 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 445 रकबा 1. 60 हैक्टर कुल रकबा 4.05 हैक्टर में चन्द्राराम पुत्र सोलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। वादीगण के पूर्वज के नाम भूमि खातेदारी मे अवश्य ही दर्ज रही है परन्तु सम्वत 2016 में बही में कच्ची लिखित अनुसार 800/– रूपये में बेचान अंकित है जिसके आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ है तथा बावरी जाति प्रस्तुत गजट नोटिफिकेशन 20 सितम्बर 1976 अनुसार उक्त तिथि के पश्चात अनुसूचित जाति में सम्मिलित की गई है, इससे पूर्व सामान्य जाति रही है इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधान इस पर लागू नही होते है। प्रस्तुत नजरी 2014 DNJ (sc) पेज 889 से 898 रामकरण बनाम स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया जो इस प्रकरण में चस्पा होती है। प्रस्तुत मुख्य परीक्षण शपथ–पत्रो में जिरह का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादीगण को एवं गवाहान को उक्त भूमि की पूर्ण जानकारी नही है तथा वादीगण इस गांव को काफी वर्षो पूर्व ही छोड़कर चले गये, वादीगण द्वारा ऐसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से इस बात की पुष्टि नही होती है कि इनका कभी उक्त बेचान लिखित पश्चात कभी कब्जा काश्त रहा हो। वादग्रस्त भूमि का उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 66 स्वीकृत होने एवं उससे पूर्व प्रतिवादी सं. 4 एवं उसके पूर्वजो का ही कब्जा काश्त चला [illegible] मौखिक साक्ष्य से साबित होता है। इस प्रकार तनकी संख्या एक विरूद्ध [illegible] निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 2</u> को साबित [illegible] था, उपरोक्तानुसार जब वादीगण एवं प्रतिवादी सं. [illegible] लम्बे समय से भूमि खातेदारी एवं कब्जे में नही रही है तो प्रतिवादी सं. 4 [illegible] जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराये जाने का प्रश्न ही नही उठता है, तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित हो चुकी है, अतः तनकी संख्या 2 साबित नही होने से वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 4 पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तु मौखिक साक्ष्य का शपथ–पत्र जमाबंदी नकले लिखित बही की प्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या के पूर्वज सोलाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट सा. आनन्दपुरा का ग्राम आनन्दपुरा के गत खसरा नम्बर 52 वर्तमान खसरा नम्बर 427 की भूमि पर उक्त लिखित बेचान एवं उससे पूर्व निरन्तर कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त नामान्तरकरण सं. 66 के दिवस से खातेदारी में दर्ज चली आई तथा सोलाराम के स्वर्गवास पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 चन्द्राराम पुत्र सोलाराम जाट के नाम भूमि दर्ज चली आई है तथा इसी का कब्जा काश्त बरकरार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य से यह साबित नही होता है कि उक्त लिखित नाथूराम के पश्चात उनका कभी कब्जा काश्त रहा हो ? वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 काफी समय से अन्यत्र निवास करते आये है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत मतदाता सूची से होती है तथा वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रमाणित होता हो कि कभी ग्राम आनन्दपुरा में रहवासीय मकान इत्यादि मे रहे हो तथा कभी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है, प्रश्नगत भूमि का बेचान 800/–रूपये में रेवन्यू स्टाम्प पर वादीगण के पूर्वज नाथूराम द्वारा सम्वत 2016 में प्रतिवादी के पिता सोलाराम को बेचान कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा संभलाना लिखा है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत मूल बही से मिलान कर प्रति पत्रावली में रखी गई जिससे पुष्टि होती है, वरवक्त वादग्रस्त भूमि की लिखित अुनसार ही नामान्तकरण दर्ज कर प्रतिवादी सं. 4 के पूर्वज सोलाराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। इस प्रकार की लिखित को विभिन्न न्यायालयों ने भी सही माना है, प्रतिवादी वकील द्वारा निम्न नजीर प्रस्तुत की है :–

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION
CIVIL APPEAL NO.9032 OF 2013
@SPECIAL LEAVE PETITION (C) NO. 20721 OF 2008)

	... APPELLANT
VERSUS	
LAXMINARAYAN & ORS.	...RESPONDENTS

J U D G M E N T CHANDRAMAULI KR. PRASAD, J NEW DELHI, OCTOBER 7, 2013
उक्त नजीर इस प्रकरण में चस्पा होती है। इस प्रकार प्रस्तुत नजीर **Saniram Kachari And Anr. vs Gauri Ram Koch And Ors. on 20 July, 1951**
Equivalent citations: AIR 1953 Gau 152

According to the view taken in AIR 1936 Cal 130 (F), the document of sale could be utilised for the purpose of showing the nature of his possession. This view receives support from 43 Mad 244 (G) also. In these circumstances even if the unregistered sale deed combined with delivery of possession could not confer title on him as urged by Mr. Deb, the learned counsel for the appellants, plaintiff did acquire title in the property by possession as owner for over 12 years. The finding on the question of possession is not open to challenge. During

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

the life time of Bhubal Kachari, the vendor, no objection was taken to plaintiffs' possession. At the time of the suit, his possession was more than 12 years old. He has, therefore, acquired good title to the property. The plaintiff no doubt based his case on sale. He did not rely on adverse possession specifically or as a distinct basis but it was necessarily implied in the case he set up. If it is found that he came in possession of the property and was in possession as an owner, he must be held to have acquired title by efflux of time. At least for the limited purpose of showing the nature of plaintiffs' possession the sale deed is admissible. There is also the mutation in his favour which indicates the character of his possession. In these circumstances I see no reason to differ from the conclusion arrived at by the Courts below. The appeal, therefore, must fail on the merits. (एआईआर 1936 कैल 130 (एफ) में लिए गए विचार के अनुसार, बिक्री के दस्तावेज का उपयोग उसके कब्जे की प्रकृति को दिखाने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस दृश्य को 43 मैड 244 (पीसी) (जी) से भी समर्थन प्राप्त है। इन परिस्थितियों में, भले ही अपंजीकृत बिक्री विलेख, कब्जे की सुपुर्दगी के साथ संयुक्त रूप से, श्री देब, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील, वादी द्वारा आग्रह के अनुसार उस पर शीर्षक प्रदान नहीं कर सकता था, वादी ने 12 वर्षों से अधिक समय तक मालिक के रूप में संपत्ति का स्वामित्व अर्जित किया। कब्जे के सवाल पर निष्कर्ष चुनौती के लिए खुला नहीं है। विक्रेता भुबल कचारी के जीवनकाल में वादी के कब्जे पर कोई आपत्ति नहीं ली गई। वाद के समय उसका कब्जा 12 वर्ष से अधिक पुराना था। इसलिए, उसने संपत्ति पर अच्छा अधिकार हासिल कर लिया है। वादी निःसंदेह अपने मामले को बिक्री पर आधारित करता है। वह विशेष रूप से या एक विशिष्ट आधार के रूप में प्रतिकूल कब्जे पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन यह आवश्यक रूप से उस मामले में निहित था जिसे उसने स्थापित किया था। यदि यह पाया जाता है कि वह संपत्ति के कब्जे में आया था और एक मालिक के रूप में उसके कब्जे में था, तो उसे समय के प्रवाह से शीर्षक प्राप्त करने के लिए माना जाना चाहिए। कम से कम वादी के कब्जे की प्रकृति को दिखाने के सीमित उद्देश्य के लिए बिक्री विलेख स्वीकार्य है। उसके पक्ष में उत्परिवर्तन भी है जो उसके कब्जे के चरित्र को इंगित करता है। इन परिस्थितियों [illegible] निम्न न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न होने का कोई [illegible] गुण-दोष के आधार पर विफल होनी चाहिए।) जो इस पर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

नजीर **Abdul Alim vs Abdul Sattar on 5 April, 1935**

Equivalent citations: AIR 1936 Cal 130

A Full Bench of the Madras High Court in Rama Sahu v. Gowro Ratha 1921 Mad 337 and a Full Bench of the Allahabad

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

High Court in Sohan Lal v. Mohan Lal 1928 All 726, have held that however illogical it may seem the words used do not in-corporate the provision of the Transfer of Property Act into Section 17, Registration Act, and the result is that the reference! in Section 49, Registration Act, cannot be deemed to be applicable to the provisions of Section 54, Transfer of Property Act, and Section 49 does not make such a document inadmissible in evidence. राम साहू बनाम गोवरो रथ 1921 मद 337 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ और सोहन लाल बनाम मोहन लाल 1928 सभी 726 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना है कि यह शब्द कितना भी अतार्किक लग सकता है। संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम की धारा 17 पंजीकरण अधिनियम में प्रावधान शामिल नहीं है और परिणाम यह है कि संदर्भ! धारा ४९ में पंजीकरण अधिनियम धारा ५४ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों पर लागू नहीं माना जा सकता है और धारा ४९ ऐसे दस्तावेज़ को साक्ष्य में अस्वीकार्य नहीं बनाती है।

जो इस पर बखूबी साबित होती है।

राजस्व प्रार्थना–पत्र 58/2019 प्रेमाराम बनाम रामचंद्र में पारित आदेश 4.12.2009 अनुसार भी प्रार्थना–पत्र वादीगण के विरूद्ध निर्णित होकर खारिज हुआ है। उपलब्ध समस्त दस्तावेजी इत्यादि से तनकी संख्या 3 प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 अनुतोष :–

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 427 रकबा 2.17 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 चन्द्राराम पुत्र सोलाराम जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज चली आ रही है तथा तनकी संख्या 1 एवं 2 वादीगण के विरूद्व तथा तनकी सं. 3 प्रतिवादी सं.4 की पक्ष में निर्णिति की गई है।

अतःवाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 17/9/2021 को सरे इजलास सुनाया गया

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी
बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 82/2009 **RCMS 2009/00025**

वादी

1. प्रेमाराम पुत्र नाथूराम जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. हरिसिंह उर्फ हरजीराम पुत्र भागीरथ जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामचंद्र पुत्र भागीरथ जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. जेठाराम पुत्र केशाराम जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. हीरालाल पुत्र केशाराम जाति बावरी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. चंद्राराम पुत्र सालाराम उर्फ सोलाराम जाति जाट निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. राज.राज्य जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)
6. उप पंजियक कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा :– बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री श्याम सुन्दर चौधरी एवं श्री अशोकपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वादी वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 9 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) मुहर

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालातनामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]ना व[illegible]		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफ[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)